न्यायालय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर 69/2020

फर्द अहकाम

	मिठ्ठूलाल बनाम प्रभूदयाल वगै	
10-09-2020	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश हुआ। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया सुदृढ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रारित करना उचित समझते हैं। अतः उभयपक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 1114/578 रकबा 0.6323 हैक्टेयर ग्राम गठवाडी का बैचान , रहन , हस्तान्तरण नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके कि यथास्थिति बनाये रखें तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा-पक्का निर्माण कार्य न स्वयं करें न अन्य से करवावें और प्रार्थी को उसकी हिस्से की भूमि से बेदखल ना करें आदेश की प्रालनार्थ तहसीलदार जमवारामगढ़, उपपंजीयक जमवारामगढ़ एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। पत्रावली दिनांक 15-10-2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। सहायक कलेक्टर जमवारामगढ़, जयपुर	
15/10/2020	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब हेतु दिनांक 5/11/2020 को पेश हो।	
19/10/2020	पत्रावली आज वकील प्रार्थी द्वारा वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण से सम्बंधित वाद विड्रॉ हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र 212 को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है।	Not press

Scanned with CamScanner

प्र. पत्र सं. 69/2020

मिठ्ठूलाल बनाम प्रभुदयाल

अतः प्रार्थना पत्र कार्यवाही निरस्तगी को खारिज किया जाता है/ पत्रावली मिसल शामिल होकर नकल से काम है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with CamScanner